न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 180–पीबीआर/99 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–10–98 पारित द्वारा अपर बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0, ग्वालियर प्रकरण कमांक 15/निग0/96–97.

———

रामसिंह पुत्र तेज सिंह जाति त्यागी
निवासी नयागांव मानगढ़ तह. कैलारस,
जिला मुरैना ——— आवेदक

विरूद्ध

रामजीलाल पुत्र सावंलिया त्यागी
निवासी नयागांव (मानगढ़) तह. कैलारस,
जिला मुरैना म.प्र. ——— अनावेदक

———

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप श्रीवास्तव.
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री श्रीकृष्ण शर्मा ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 07, मई 2015 को पारित)

———

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 15/निग0/96–97 में पारित आदेश दिनांक 14–10–98 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहितां कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं ग्राम नयागांव तहसील कैलारस जिला मुरैना स्थित भूमि सर्वे नं. 220 रकबा 2 बिस्वा पर अआवेदक द्वारा कब्जा दर्ज करने संबंधी आवेदन पत्र सहायक बंदोवस्त अधिकारी दल कमांक 3 को पेश किया । इसकी जांच कर सहायक बंदोवस्त अधिकारी ने आदेश दिनांक 31–12–92 द्वारा कब्जा दर्ज करने के आदेश दिए । इस आदेश

के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में बंदोवस्त अधिकारी ने उक्त आदेश निरस्त किया । बंदोवस्त अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जो अपर बंदोवस्त आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर बंदोवस्त आयुक्त के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4– अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा आलोच्य आदेशों का परिशीलन किया गया । यह प्रकरण कब्जा दर्ज करने के संबंध में है प्रकरण में सहायक बंदोवस्त अधिकारी ने कब्जा दर्ज करने के आदेश दिए इसके विरूद्ध अपील में बंदोवस्त अधिकारी ने सहायक बंदोवस्त अधिकारी का आदेश निरस्त किया । बंदोवस्त अधिकारी के आदेश के पुष्टि अपर बंदोवस्त आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा की है । अपर बंदोवस्त आयुक्त ने अपने आदेश में प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया गया है । उनका यह निष्कर्ष विधिसम्मत है कि भूमिस्वामियों के स्वत्व के विरूद्ध किसी अन्य का कब्जा अंकित किया जाना उचित नहीं है । समयसीमा के बिंदु पर नरम रूख अपनाए जाने संबंधी उनका निष्कर्ष इस प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए उचित है । विलंब क्षमा करना अधीनस्थ न्यायालय के विवके पर निर्भर करता है और जब तक इस विवके का अवैधानिक रूप से उपयोग नहीं किया गया हो तब तक उसमें हस्तक्षेप वरिष्ठ न्यायाय नहीं कर सकता है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का जो निर्णय है उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर